श्री अबरार अहमद कमर, अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा दिनांक 17.08.2013 को अंचल कार्यालय, शंकरपुर के राजस्व कार्यो की समीक्षा से संबंधित समीक्षात्मक टिप्पणी।

....

दिनांक 17.08.2013 को अंचल कार्यालय , शंकरपुर में किये जा रहे राजस्व सम्बन्धी महत्वपूण कार्यो की समीक्षा अंचल अधिकारी, शंकरपुर की उपस्थिति में की गई, स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना :-

वासरहित महादलित परिवारों को प्रत्येक परिवार 03 डी0की दर से वास भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में समीक्षा की गई । अंचल कार्यालय , शंकरपुर में 482 वासरहित महादलित परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया है । परन्तु उसमें से इन्दिरा आवास प्राप्त ,अन्य श्रोतों से वास भूमि प्राप्त तथा अन्यत्र चले गये महादलितों की जाँच कर सर्वेक्षित सूची से उसकी सूची विलोपन हेतु बनानी है तथा शेष विशुद्ध रूप से वासरहित महादलितों को वास भूमि उपलब्ध कराना है , लेकिन अंचल अधिकारी, शंकरपुर इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहें हैं। इस अंचल में मूल सर्वेक्षण सूची से विलोपन हेतु इन्दिरा आवास प्राप्त ,अन्य श्रोतों से वास भूमि प्राप्त तथा अन्यत्र चले गये महादलितों की सूची एवं विशुद्ध रूप से भूमि उपलब्ध कराने हेतु अलग सूची बनानी थी जो यहाँ नहीं बनाई गई है । इस कार्य के लिए जिला स्तर से अनेक पत्र भेजे गये हैं, जिसका अनुपालन अब तक नहीं किया गया है ।

अंचल अधिकारी तथा प्रभारी अंचल निरीक्षक, शंकरपुर को निदेश दिया गया कि क सप्ताह के अन्दर दोनों प्रकार की सूची तैयार कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करें ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके ।

नामांतरण :-

समीक्षा के क्रम में दाखिल खारिज की एक पंजी जिस पर पृष्ठ प्रमाण पत्र दिनांक 02.01.2013 को दर्ज किया गया है और जिसे अंचल अधिकारी, शंकरपुर के द्वारा दाखिल खारिज आवेदन पंजी बताया गया, अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई । इस पंजी में दिनांक 02.01.2013 से 26.03.2013 तक कुल 464 दाखिल खारिज के आवेदन दर्ज किये गये हैं तथा इसमें अनेक मामलों के स्वीकृत / अस्वीकृत के Status को भी दर्शाया गया है।

दिनांक 01.04.2013 से 17.08.2013 तक आर0टी0पी0एस0 आवेदन संख्या-1300465 से 13001557 अंकित किया गया है । इस प्रकार 01.04.2013 से 17.08.2013 के 04.00 बजे अप0 तक 1093 दाखिल खारिज के आवेदन पत्र इस पंजी में वर्ष 2013-14 में दर्ज किये गये हैं।

दाखिल खारिज की दूसरी पंजी अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई । पृष्ठ प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2013 को दिया गया है तथा वाद संख्या- 01/13-14 आर0टी0पी0एस0 क्रम संख्या- 1300330 से शुरू किया गया है । इस वाद को अस्वीकृत दर्शाया गया है । यह गलत है, क्योंकि आर0टी0पी0एस0 आवेदन संख्या- 1300330 दिनांक 15.03.2013 को नामांतरण की आवेदन पंजी मं दर्ज है जिसे 03.04.2013 को अस्वीकृत किया गया है। अतः वर्ष 2012-13 का अभिलेख नम्बर अंकित करते हुए वर्ष 2013-14 का अभिलेख नम्बर दर्ज करना चाहिए था। इसी प्रकार अन्य अभिलेख में भी यही स्थिति दृष्ठिगोचर हई। इस नामांतरण अभिलेख की मांग अवलोकनार्थ की गई तो अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यवाह सहायक अवकाश पर हैं जिस कारण अभिलेख प्रस्तुत करने में कठिनाई है । माह जुलाई 13 का दाखिल खारिज प्रतिवेदन की मांग किये जाने पर अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रतिवेदन प्रभारी अंचल निरीक्षक के पास है, कार्यालय में नहीं है तथा अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किये जा सके ।

दाखिल खारिज पंजी जो 01.04.2013 से संधारित है , इसमें अंतिम अभिलेख संख्या 1038/13-14 अंकित है, जो मौरा ग्राम से संबंधित है और इसकी आवेदिका अड्हुलिया देवी पति बालदेव ऋषिदेव दर्शाये गये हैं। इस मामले में पंजी में जमीन का कोई विवरण अंकित नहीं है तथा लिखा गया है " अस्वीकृत/ पूर्व में खारिज।" इस पंजी में वाद संख्या-921/13-14 से लेकर 1038/13-14 तक के

मामलों में स्वीकृत/ अस्वीकृत लिखा हुआ है किन्तु इसे अंचल अधिकारी, शंकरपुर के द्वारा सत्यापित नहीं किय गया है।

आर0टी0पी0एस0 काउन्टर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 15.08.2011 (जब से आर0टी0पी0एस0 लागू हुआ) से 31.03.2013 तक कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या-2625 है जिसमे 1969 आवेदन स्वीकृत एवं 354 आवेदन अस्वीकृत बताया गया है । इसी प्रकार दिनांक 01.04.2013 से 17.08.2013 तक प्राप्त कुल आवेदनों की संख्या 837 है । जिसमें 730 स्वीकृत एवं 107 अस्वीकृत बताया गया है । दाखिल खारिज आवेदन पंजी में आर0टी0पी0एस0के अनुसार 1093 दाखिल खारिज के मामले दर्ज हुए हैं लेकिन 1038/2013-14तक ही दाखिल खारिज अभिलेखों की प्रविष्टि दाखिल खारिज पंजी में पायी गई। शेष 55 अभिलेखों की प्रविष्टि क्यों नहीं की गई है? यह पूछने पर अंचल अधिकारी, शंकरपुर के द्वारा कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सका ।

समीक्षा के क्रम में कुछ नामांतरण अभिलेखों का भी Randomly अवलोकन किया गया नामांतरण वाद संख्या- 451/13-14 बनाम सुधीर कुमार सुमन अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया । दिनांक 22.05.13 को मौजा जिरवा , खाता नं0 1127 खेसरा नं0 2252 रकवा 64 डी0 जमीन के नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। इस अभिलेख में नोटिश दो प्रतियों में तामिला कराया गया , संलग्न है। दो प्रतियों में शुद्धिपत्र संलग्न है जिसपर दिनांक 22.05.2013 को अंचल अधिकारी, शंकरपुर द्वारा हस्ताक्षर किया गया है उक्त शुद्धिपत्र पर ज्ञापांक 1300240 दिनांक 24.05.2013 अंकित है , यह सही नहीं है, क्योंकि अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आर0टी0पी0एस0 का आवेदन संख्या- 050114112051300240 है यदि शुद्धिपत्र निर्गत ही किया गया है तो कार्यालय का निर्गत संख्या होना चाहिए था । दोनों ही प्रति शुद्धिपत्र अभिलेख में संलग्न है। अंचल अधिकारी ने बताया कि शुद्धिपत्र अभीतक आवेदक भूधारी तथा हल्का कर्मचारी को हस्तगत नहीं कराया गया है, क्योंकि स्टाफ की कमी है। अंचल अधिकारी का यह कथन बिल्कुल ही सही प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि, प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में राजस्व कर्मचारी बैठक में भाग लेते हैं जिन्हें शुद्धिपत्र हस्तगत कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अभिलेख संख्या- 555/13-14 बनाम सनमोल यादव के नाम से संधारित है। 31.05.13 को नामांतरण की स्वीकृति दी गई है। इस अभिलेख में फुरकान आलम पिता जमाल अहमद ग्राम - बलवा शंकरपुर के नाम से सूचना की कार्बन प्रति संलग्न है जिसके पीठ पर लिखा हुआ है " एक प्रति पाया" लेकिन पाने वाले का हस्ताक्षर नहीं है तथा तामिला कराने वाले कार्यालय परिचारी का भी हस्ताक्षर नहीं है अर्थात सही ढ़ंग से सूचना का तामिला नहीं कराया गया है। शुद्धिपत्र दो प्रतियों में तैयार किया गया है जिसे आवेदक भूधारी अथवा राजस्व कर्मचारी को प्राप्त नहीं कराया गया है । अन्य नामांतरण अभिलेखों की भी यही स्थिति है ।

इस प्रकार नामांतरण वादों की स्वीकृति में भी लापरवाही एवं नियम की अनदेखी दृष्टिगोचर हुई शुद्धि पत्र को रक्षी संचिका में चिपका कर नहीं रखा जाता है , सूचना का तामिला भी विधिवत नहीं कराया गया है तथा समय पर शुद्धि पत्र भी हल्का कर्मचारी को हस्तगत नहीं कराया जाता है । इस संबंध में मौके पर ही अंचल अधिकारी, शंकरपुर , को निदेश दिया गया कि सभी अभिलेखों की स्वयं समीक्षा कर प्राप्त त्रुटियों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

समीक्षा के क्रम में ही अंचल के निॅम्नलिखित रैयतों द्वारा दाखिल खारिज स्वीकृत करने के बावजूद लगान रसीद नहीं देने आदि की शिकायत की गई। अंचल अधिकारी, शंकरपुर के समक्ष इन मामलों को कार्यालय अभिलेख के माध्यम से देखा गया । स्थिति निम्नवत् पाई गई :-

क्र0	शिकायतकर्त्ता का नाम /पता	शिकायत का विषय	जॉच में पाई गई स्थिति
1	हरेराम यादव,पिता-अयोधी यादव, बेहरारी	दाखिल खारिज का निष्पादन नहीं करने के संबंध में	आर0टी0पी0एस0आवेदन संख्या- 1300953 दिनांक 30.05.2013 एवं दाखिल खारिज वाद सं0 627/13-14,